2012:CGHC:8820-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ.: माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 675/2007

मनोज कुमार

बनाम

छ. ग. राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 14–08–2012 को सूचीबद्ध करे|

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ.: माननीय श्री न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 675/2007

अपीलार्थी: मनोज कुमार, पिता धरमदास सतनामी, आयु लगभग 24 वर्ष,

निवासी – ग्राम टेमरी, थाना रनचिराई, जिला दुर्ग

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

श्री अशोक वर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री जे.ए. लोहानी, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(दिनांक 14 अगस्त, 2012 को उद्घोषित)

माननीय न्यायाधीश राधे श्याम शर्मा, द्वारा:

1. यह अपील दिनांक 04-05-2007 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2007 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे आजीवन कारावास की सजा एवं ₹100/- के जुर्माना से दण्डित किया गया

है तथा जुर्माना का भुगतान करने में व्यतिक्रम किये जाने की स्थिति में उसे 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है:

अपीलार्थी तथा मृतका बिसंतीन बाई के मध्य घटना दिनांक 10-11-2006 से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। उनके दाम्पत्य जीवन से एक संतान उत्पन्न हुई थी। घटना के दिन बच्चे की आयु लगभग 5-6 माह थी। अपीलार्थी तथा मृतका अपने बच्चे के साथ एक साथ निवास कर रहे थे। अपीलार्थी एवं मृतका के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे तथा अपीलार्थी मृतका के साथ मारपीट करता था। इसी कारण मृतका अपने बच्चे सहित अपने मायके (अपने नाना बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर), जो उसी ग्राम में स्थित था, जाया करती थी। दिनांक 10-11-2006 से 2-3 दिन पूर्व भी अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ की गई मारपीट के कारण मृतका अपने बच्चे सहित बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर आयी और वही निवास कर रही थी। दिनांक 10-11-2006 को लगभग प्रातः 10:30 बजे अपीलार्थी मृतका के पास बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर आया तथा लगभग आधे घंटे पश्चात केवल अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस चला गया। कुछ समय पश्चात मृतका भी अपीलार्थी के पीछे-पीछे अपने ससुराल घर चली गई। तत्पश्चात लगभग दोपहर 12 बजे फिरोज (अ.सा.4), जो मृतका का भाई है, अपीलार्थी के घर खेलने गया। उसने देखा कि बच्चा खाट पर पड़ा हुआ रो रहा था तथा मृतका घर के अंदर दरवाजे के पास रक्तरंजित अवस्था में पड़ी हुई थी। उस समय अपीलार्थी घर पर उपस्थित नहीं था। फिरोज (अ.सा.-4) चन्नूलाल (अ.सा.–1) एवं बाबूलाल (अ.सा.-2) के पास गया और उन्हें उक्त घटना की जानकारी दी। फिरोज (अ.सा.4) के साथ चन्नूलाल (अ.सा.–1), बाबूलाल (अ.सा.-2)अपीलार्थी के घर गए। उन्होंने देखा कि मृतका घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उस समय भी अपीलार्थी घर पर उपस्थित नहीं था। मृतका की माता फेकनबाई (अ.सा.–3) भी वहां पहुंची और मृतका को देखा। इसके पश्चात उन्होंने अपीलार्थी की खोज की, किन्तु वह नहीं मिला। तत्पश्चात फेकनबाई (अ.सा.-3), बाबूलाल (अ.सा.-2) तथा चन्नूलाल (अ.सा.–1) शिकायत दर्ज कराने हेतु थाना जाने लगे। रास्ते में अपीलार्थी जमगांव के निकट पैदल आता हुआ मिला। पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी ने बताया कि मृतका द्वारा भोजन न बनाने तथा अपने मायके बार-बार जाने के कारण वह क्रोधित हो गया और उसने टंगिया तथा गैंती से मृतका की हत्या कर दी। थाना पहुंचने पर चन्नूलाल (अ.सा.–1) द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी-1) एवं मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-3) दी तथा मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया। मृतका के शव को परीक्षण हेतु (प्रदर्श पी–14) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुंडरदेही भेजा गया, जहाँ डॉ. सी.बी. प्रसाद (अ.सा.-14) द्वारा शव परीक्षण किया गया तथा उन्होंने अपना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी-23) प्रस्तुत किया, जिसमें मृतका के शव पर लगभग 11 चोटें पाई गईं। उन्होंने यह राय व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण शरीर के विभिन्न भागों पर लगे अनेक कटे हुए घावों के कारण उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्राव से हुआ सदमा है तथा मृत्यु की प्रकृति मानव वध है।

आगे के अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया जो प्रदर्श पी-5 है तथा उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-6 के माध्यम से टंगिया/गैंती, पैंट एवं शर्ट जप्त की गई। प्रदर्श पी-7 के माध्यम से घटनास्थल की सादी मिट्टी एवं रक्तरंजित मिट्टी जप्त की गई जो। प्रदर्श पी-8 द्वारा टूटा हुआ हार, चूड़ी तथा नथनी (नाक की कील) भी जप्त की गई। पटवारी दिनेश कुमार साहू (अ.सा.-10) ने प्रदर्श पी-10 द्वारा मौका नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार किया गया तथा अन्वेषण अधिकारी ने भी प्रदर्श पी 13 द्वारा मौका नक्शा तैयार किया गया। जप्त सामग्री को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-17 के माध्यम से भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित किया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय को स्थानंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया तथा अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष युक्तिसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि घटना के समय अपीलार्थी घर पर उपस्थित नहीं था, अतः मृतका की मृत्यु के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्णायक नहीं है तथा यह स्थापित विधि है कि मात्र प्रबल संदेह, प्रमाण का स्थानापन्न नहीं हो सकता। अतः विद्वान अपर

सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलीखित निष्कर्ष स्थायी नहीं है तथा अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2007 के अभिलेखों का अवलोकन किया। यह निर्विवाद है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने हेतु अभियोजन को सभी दोषारोपणकारी परिस्थितियों को विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना आवश्यक है तथा जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उनका पूर्णतः स्थापित होना आवश्यक है। यह भी सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थानापन्न नहीं हो सकता तथा न्यायालय को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

7. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बालक एवं अन्य, (2008) 15 एस.सी.सी. 551** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :

“11. ‘9. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कोई प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ दोष का निष्कर्ष तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषारोपणकारी तथ्य एवं परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के दोष से असंगत पाई जाएँ। (देखें – हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1977) 2 एस.सी.सी. 99; ईराडू बनाम हैदराबाद राज्य, ए.आई.आर 1956 सु.को.316; इराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (1983) 2 एस.सी.सी. 330; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबसी, 1985 सूप एस.सी.सी. 79; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1987) 1 एस.सी.सी 1; तथा अशोक कुमार

चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 सूप(1) एस.सी.सी. 560)। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है तथा यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि वे परिस्थितियाँ उस मुख्य तथ्य से निकटता से संबंधित हैं, जिसे उन परिस्थितियों से निष्कर्षित किया जाना है। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए. आई.आर. 1954 सु.को. 621 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ प्रकरण परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहाँ परिस्थितियों का सामूहिक प्रभाव ऐसा होना चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषता की संभावना का पूर्णतः निषेध हो तथा अपराध को किसी भी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है।

10. हम इस न्यायालय के निर्णय सी. चेंगा.रेड्डी बनाम ए.पी.राज्य., (1996) 10 एस.सी.सी. 193 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें निम्न प्रकार से अवलोकन किया गया है (एस.सी.सी. पृष्ठ 206-07, कंडिका 21):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“21. ऐसे मामलों में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर अपराध सिद्ध होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूर्ण रूप से सिद्ध की जानी चाहिए तथा उनका स्वरूप निर्णायक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई भी रिक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त रूप से, सिद्ध की गई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ ही संगत होनी चाहिए तथा उसकी निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत होनी चाहिए।”

8. **पड़ला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 1990 सु.को. 79** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है:

“10. .... इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों की श्रृंखला में निरंतर यह प्रतिपादित किया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित कसौटियों को संतुष्ट करना आवश्यक है:—

(1) जिन परिस्थितियों के आधार पर अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे स्पष्ट, ठोस एवं दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ ऐसी निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिना त्रुटि के अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हों;

(3) वे परिस्थितियाँ, समष्टिगत रूप से, ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें कि उससे यह निष्कर्ष निकलने से कोई बचाव न रहे कि समस्त मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं; तथा ..."

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा ऐसा होना चाहिए कि अभियुक्त के अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना द्वारा उसका स्पष्टीकरण संभव न हो। ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के साथ संगत होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत भी होना चाहिए।

9. **रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी एवं अन्य बनाम ए.पी. राज्य (2006) 10 एस.सी.सी. 172** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है—

"27. अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब उस समय के बीच का अंतराल, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित साथ-साथ देखा गया था और जब मृतक का शव प्राप्त हुआ, इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना लगभग असंभव हो जाए। तथापि, ऐसे मामलों में भी न्यायालय को कुछ पुष्टिकरण की तलाश करनी चाहिए।"

(देखें: **इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तमिल नाडु बनाम जॉन डेविड, (2011) 5 एस.सी.सी. 509 तथा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश , (2005) 3 एस .सी.सी. 114**)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करेंगे, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अभियोजन पक्ष उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं।

11. जहाँ तक इस परिस्थिति का प्रश्न है कि यह एक गृह-हत्या का मामला है, यह विवादित नहीं है कि मृतक का शव अपीलार्थी के घर में पाया गया था तथा उसकी मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

12. छन्नूलाल (अ.सा.-1), बाबूलाल (अ.सा.-2), फेकनबाई (अ.सा.-3) तथा दुजराम (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका अपीलार्थी की पत्नी थी तथा उनका विवाह घटना की तिथि से

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था और उनके वैवाहिक संबंध से एक संतान का जन्म हुआ था। छन्नूलाल (अ.सा.-1), बाबूलाल (अ.सा.-2) एवं फेकनबाई (अ.सा.-3) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी एवं मृतका, अपीलार्थी के घर में साथ-साथ निवास करते थे। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि से लगभग 2-3 दिन पूर्व मृतका अपने नाना बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर गई थी और वहीं रह रही थी। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि को लगभग प्रातः 10 बजे अपीलार्थी, बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर से अपने बच्चे को अपने घर वापस ले गया। इसके थोड़े समय पश्चात मृतका भी उसके पीछे-पीछे अपीलार्थी के घर चली गई।

13. फिरोज (अ.सा.-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग दोपहर 12 बजे वह अपीलार्थी के घर गया और उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि बच्चा खाट पर लेटा हुआ रो रहा था और मृतका घर के दरवाज़े के पास मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। तत्पश्चात वह तत्काल छन्नूलाल (अ.सा.-1) तथा बाबूलाल (अ.सा.-2) के पास गया और उन्हें घटना के संबंध में अवगत कराया। छन्नूलाल (अ.सा.-1) एवं बाबूलाल (अ. सा.-2) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि फिरोज (अ.सा.-4) ने उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके पश्चात वे फिरोज (अ.सा.-4) के साथ अपीलार्थी के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मृतका मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और अपीलार्थी वहाँ उपस्थित नहीं था। छन्नूलाल (अ.सा.-1) ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका का शरीर रक्त से सना हुआ था और वह मृत थी। छन्नूलाल (अ.सा.-1) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस थाना रनचिरई में प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. सहायक उप-निरीक्षक मनहरन बनाफर (अ.सा.-13) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह घटना स्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-3) दी तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार आर.पी. अंचला (अ.सा.-9) की उपस्थिति में मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी 4) तैयार किया। आर.पी. अंचला (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया की मृत्यु समीक्षा(प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका का शव घर के अंदर पड़ा हुआ था, उसके शरीर पर अनेक फटे हुए घाव पाए गए तथा उनसे रक्त स्राव हो रहा था। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका को बाईं आँख के पास कनपटी , बाएँ कोहनी तथा कलाई पर चोटें आई थीं।

15. पटवारी दिनेश कुमार साहू (अ.सा.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार किया। प्रदर्श पी-10 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि घटना स्थल अपीलार्थी का घर था तथा मृतका वहीं अपीलार्थी के साथ निवास करती थी।

16. **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एस.सी.सी. 681** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिमत व्यक्त किया है—

“14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजी सीमा के भीतर ऐसे परिस्थितियों में घटित होता है जहाँ आक्रमणकारियों को अपने अनुकूल समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन हो जाता है, यदि न्यायालय उपर्युक्त वर्णित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कठोर सिद्धांतों पर अत्यधिक जोर देता है। एक न्यायाधीश दाण्डिक विचारण की अध्यक्षता केवल इस उद्देश्य से नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए; बल्कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि कोई दोषी व्यक्ति दंड से बच न जाए। दोनों ही सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (देखें: ईस्टरलैंड बनाम v. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन — जिसे पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा अनुमोदन सहित उद्धृत किया गया है।)विधि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व अधिरोपित नहीं करती कि ऐसे स्वरूप के साक्ष्य जिनका प्रस्तुत किया जाना लगभग असंभव हो या किसी भी स्थिति में अत्यंत कठिन हो। अभियोजन का दायित्व यह है कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए जाने में सक्षम हों। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है।

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध किसी घर के भीतर गोपनीयता में किया जाता है, वहाँ प्रारंभिक रूप से मामले को सिद्ध करने का भार निस्संदेह अभियोजन पर ही होता है, किंतु आरोप सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की प्रकृति और मात्रा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाले मामलों के समान स्तर की नहीं हो सकती। ऐसा भार तुलनात्मक रूप से हल्के स्वरूप का होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के परिप्रेक्ष्य में, घर में रहने वाले व्यक्तियों पर यह समतुल्य दायित्व होगा कि वे यह स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण दें कि अपराध किस प्रकार किया गया। घर के निवासी केवल मौन रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर इस आधार पर बच नहीं सकते कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामले को सिद्ध करने का सम्पूर्ण भार केवल अभियोजन पर है तथा अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का दायित्व नहीं है।

17. **राजस्थान राज्य बनाम काशीराम, (2006) 12 एस .सी.सी. 254** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिमत व्यक्त किया है—

“19. ... यह प्रश्न कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत कोई अनुमान निकाला जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय सिद्ध किए गए तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अंततः यह साक्ष्यों के मूल्यांकन का विषय है और इसलिए प्रत्येक मामला अपने-अपने तथ्यों पर आधारित होता है।

23. ... यह सिद्धांत भली-भाँति स्थापित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और निर्विवाद हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तब उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया हो, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि वह मृतक से कब और किस प्रकार अलग हुआ। उसे ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जो न्यायालय को संभावित तथा संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपने ऊपर निहित प्रमाण के भार का निर्वहन कर दिया है। यदि वह अपने विशेष ज्ञान में निहित तथ्यों के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए प्रमाण के भार का निर्वहन करने में असफल माना जाएगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, यदि अभियुक्त अपने ऊपर डाले गए प्रमाण के भार के निर्वहन हेतु कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो यह स्वयं अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 दाण्डिक विचारण में प्रमाण के भार को स्थानांतरित नहीं करती, क्योंकि वह सदैव अभियोजन पक्ष पर ही रहता है। यह केवल यह नियम स्थापित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते थे, तब न्यायालय उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है, जो परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करती है।

इन सिद्धांतों को आगे **राजस्थान राज्य बनाम पार्थु , ए.आई.आर. 2008 सु.को. 10** के मामले में भी पुनः प्रतिपादित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के समय अपीलार्थी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। वह प्रातः 8 बजे से देवलाल (अ.सा.-6) के खेत में कार्य कर रहा था। अभियोजन के अनुसार, घटना लगभग प्रातः 10 बजे घटित हुई।

19. अपीलार्थी ने विशिष्ट रूप से अन्यत्र उपस्थिति को अभिषाक किया था, अतः उसके लिए आवश्यक था कि वह इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 तथा 103 के अंतर्गत सिद्ध करे।

20. देवलाल (अ.सा.-6) ने अपने बयान में कहा कि घटना की तिथि से 5 दिन पूर्व उसने अपीलार्थी को मजदूरी के कार्य के लिए नियुक्त किया था तथा उसे प्रतिमाह ₹1,600/- का पारिश्रमिक देने की बात कही थी। दिनांक 10-11-2006 को वह तथा अपीलार्थी एक बैलगाड़ी उसके ब्यारा (अनाज भंडार) तक लेकर आए। लगभग प्रातः 10 बजे अपीलार्थी यह कहकर वहाँ से चला गया कि वह कुछ समय बाद वापस आएगा, किंतु वह वापस नहीं लौटा। लगभग दोपहर 1 बजे जोहान उसके पास आया और अपीलार्थी के बारे में पूछा। तब उसने उसे बताया कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी (मृतका) की हत्या कर दी है। उसने विशेष रूप से यह भी कहा कि अपीलार्थी उसके साथ केवल प्रातः 10 बजे तक ही कार्य करता रहा, उसके बाद वह वहाँ से चला गया और पुनः वापस नहीं आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने यह अभिषाक किया कि वह प्रातः 8 बजे से लगभग दोपहर 12-1 बजे तक देवलाल (अ.सा.-6) के साथ कार्य कर रहा था, किंतु देवलाल (अ.सा.-6) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अपीलार्थी लगभग प्रातः 10 बजे वहाँ से चला गया था और वापस नहीं लौटा। अतः अपीलार्थी द्वारा लिया गया अन्यत्र उपस्थिति का अभिषाक स्वीकार्य नहीं है।

22. फिरोज (अ.सा.-4) ने विशिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर आया और अपने बच्चे को वहाँ से अपने घर ले गया। इसके कुछ ही समय बाद मृतका भी उसके पीछे-पीछे अपीलार्थी के घर चली गई। उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग दोपहर 12 बजे वह अपीलार्थी के घर गया और दरवाजा खोला। वहाँ उसने देखा कि मृतका मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अतः यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी अपने बच्चे को बाबूलाल (अ.सा.-2) के घर से अपने घर ले गया था तथा मृतका भी उसके पीछे-पीछे अपीलार्थी के घर चली गई थी और कुछ समय बाद मृतका अपीलार्थी के घर में मृत अवस्था में पाई गई। प्रतीत होता है कि घटना

के समय अपीलार्थी के घर में केवल अपीलार्थी और मृतका ही उपस्थित थे और इसके पश्चात अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। फिरोज (अ.सा.-4) का साक्ष्य ठोष तथा विश्वसनीय है।

23. अपीलार्थी अपने अन्यत्र उपस्थिति के बचाव को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। अपीलार्थी अपने ऊपर डाले गए प्रमाण के भार के निर्वहन हेतु कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण देने में असफल रहा तथा उसने उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो उसके विशेष ज्ञान में थे। उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि मृतका की हत्या किस प्रकार हुई, उसे चोटें किस प्रकार प्राप्त हुईं तथा किन परिस्थितियों में यह घटना घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप मृतका की हत्या हुई। इसके विपरीत, वह घर का दरवाजा बंद करके घर से भाग गया और बच्चे को घर के भीतर अकेला छोड़ दिया।

24. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, हमें माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि या दोष नहीं दिखाई देता कि अपीलार्थी ने ही टंगिया/गैंती से प्रहार कर मृतका के शरीर पर चोटें पहुँचाई थीं तथा अपीलार्थी द्वारा पहुँचाई गई उन्हीं चोटों के कारण मृतका की मृत्यु हुई।

25. अपील सारहीन है; अतः यह ख़ारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे ख़ारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
सुनील कुमार सिन्हा	आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma